न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सज्जन सिंह बनाम हरिशंकर

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्राथना 151 CPC मु.नं. – 4/2022

तारीख हुक्म	
20.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने लिखित बहस मय दस्तावेजात पूर्व में दिनांक 04.11.2024 को पेश कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया था। हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व दस्तावेजात् का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 254 से 256, 259 से 266, 268 से 272 कुल किता 16 कुल रकबा 7.45 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर बाबत प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण सज्जनसिंह वगै0 ने एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बमुकदमा उनवानी सज्जनसिंह वगै0 बनाम हरिशंकर वगै0 का पेश किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2022 को अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश से पाबन्द किया था। उक्त स्थगन आदेश का नाजायज फायदा उठाते हुए दावे मे प्रतिवादीगण जो कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण नहीं रहे है ने जबरन ताकत के बल पर सड़क के किनारे स्थित खसरा नम्बर पर सीमेन्ट की खंभी लगाकर तारबन्दी करते हुए जाल लगा दिया जिससे प्रार्थी हरिशंकर को अपने भूमि खसरा नम्बर 264 पर पैदल जाने का रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थी हरिशंकर का अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 264 पर जाने का एकमात्र रास्ता 260 व 261 के बीच पगडण्डीनुमा था जिसे जरूरत पड़ने पर ट्रेक्टर आदि ले जाने व फसल काश्त करने के काम में लिया जाता था। जिसको तारबन्दी कर दिये जाने से बन्द हो जाने पर उक्त तारबन्दी को हटवाने के आदेश डीएसपी रींगस [illegible] जाकर न्यायालय द्वारा जारी यथास्थिति आदेश को [illegible] करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 27.09.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:33 IST
Reason: Self Attested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकरण में प्रार्थी हरिशंकर द्वारा अप्रार्थी सज्जनसिंह वगै0 के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी सज्जनसिंह वगै0 बनाम हरिशंकर वगै0 में जारी किये गये स्थगन आदेश की पालना करवानी चाही है जबकि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश में प्रार्थी / अप्रार्थी हरिशंकर व अन्य अप्रार्थीगण को मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। जबकि उक्त स्थगन आदेश में सज्जनसिंह वगै0 प्रार्थीगण कोई पाबन्द नहीं थे। अप्रार्थी / वादीगण सज्जनसिंह वगै0 के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उनवानी प्रकरण सज्जनसिंह वगै0 बनाम हरिशकर वगै0 का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। जिसमें वाद सुनवाई पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तैयार किये जाने वाले विधिक विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान को रास्ते की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रास्ते का प्रावधान करते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाते है। जिसके आधार पर पक्षकारान् का विधिक बंटवारा होकर कृषि कार्य हेतु साधनों के आवागमन का रास्ता प्राप्त हो जाता है। अप्रार्थी / प्रार्थी सज्जनसिंह वगै0 द्वारा जारी करवाये गये स्थगन आदेश में प्रार्थी हरिशंकर को ही मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। अप्रार्थी / प्रार्थी सज्जनसिंह वगै0 द्वारा अपने खेत को आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु उक्त सीमेन्ट के पोल लगाकर तारबन्दी किया जाना प्रकट होता है। न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश से प्रार्थी हरिशंकर स्वंय ही पाबन्द है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी / वादीगण सज्जन सिंह वगै0 द्वारा न्यायालय से जारी करवाये गये अन्तरिम स्थगन ... की पालना अप्रार्थी / वादीगण सज्जन सिंह ... है। प्रार्थी हरिशंकर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ...गत धारा 151 सीपीसी बाबत स्टे आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद से करवाये जाने का कानूनन पोषणीय नहीं होने से न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	सज्जन सिंह बनाम हरिशंकर वगैरह प्रा०पत्र 151 CPC मु.नं. -4/2023

अतः प्रार्थी हरिशंकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत स्टे आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद से करवाये जाने का खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी हरिशंकर को हिदायत दी जाती है कि वे न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र उनवानी प्रकरण सज्जनसिंह वगै0 बनाम हरिशंकर वगै0 वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा में प्रभावी पैरवी करवाकर कृषि भूमि का विधिक बंटवारा करवाकर रास्ते का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:33 IST
Reason: SelfAttested